

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-1/2007/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण ।

संदर्भ- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 09/01/2007/नियम/चार, दिनांक 16-5-2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25-6-2007, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20-9-2007 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 5-8-2008.




वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 09/01/2007/नियम/चार, दिनांक 20-9-2007 द्वारा दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों जो वर्तमान में अन्य राज्यों में निवासरत हैं, के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन की एक प्रति विभाग/कार्यालय द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म.प्र. ग्वालियर को भेजे जाने के जारी निर्देश की कंडिका-2 में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 5-8-2008 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर के स्थान पर जिला कोषालय अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया ।

PTO

2/ वर्तमान में पेंशन प्रकरणों का निराकरण संभागीय/जिला पेंशन कार्यालयों द्वारा किये जाने के अनुक्रम में विषयांकित प्रकरणों के निराकरण हेतु संभागीय/जिला पेंशन अधिकारियों को अधिकृत किया जाकर संदर्भित परिपत्रों में "महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/जिला कोषालय अधिकारी" के स्थान पर "संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

3/ अतः विषयांकित प्राप्त आवेदन पत्रों (Form of Application) में (जो विचाराधीन है) यथा आवश्यक संशोधन विभाग/कार्यालय द्वारा स्वयं कर लिया जाये। किसी भी स्थिति में संशोधित प्रपत्र में पेंशनभोगी/परिवार पेंशन भोगी को पुनः आवेदन करने हेतु बाध्य न किया जाए व आवेदन संभागीय/जिला पेंशन अधिकारियों को अग्रेषित किया जाए । संदर्भित परिपत्र दिनांक 20-9-2007 के अन्य प्रावधान/निर्देश यथावत रहेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

WD

(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग